

संख्या-306/एक-10-2026

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

संत कबीर नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 (प्रथम चरण) में प्रवासी श्रमिकों में वितरित की गयी राशन किट की आपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) से व्यय की गयी धनराशि के लम्बित देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6068/आपदा सहायक/2025-26, दिनांक 03 नवम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-2665/आपदा सहायक/2025-26, दिनांक 22 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों में वितरित राशन किट एवं खाद्यान्न पैकेट के भुगतान हेतु मेसर्स यश इण्टरप्राइजेज की फर्म द्वारा आपूर्ति खाद्यान्न पैकेट के सापेक्ष मेसर्स यश इण्टर प्राइजेज को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष धनराशि ₹0 45,73,214.00 आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-42473/2025 मेसर्स यश इण्टरप्राइजेज बनाम उ०प्र० राज्य सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये दिनांक 31.03.2026 को पारित निर्णय/आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"Let the Finance Department clear the dues and the payment be made or whosoever within next three weeks' time and compliance affidavit be filed before the Court failing which the Finance Secretary as well as the Relief Commissioner, State of Uttar Pradesh shall remain present in Court to explain the reasons for withholding payment and to answer as to why exemplary cost may not be imposed and further heavy interest liability may not be imposed for delayed payment".

3- अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश के अनुपालन में तथा आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों में वितरित राशन किट एवं खाद्यान्न पैकेट के भुगतान हेतु मेसर्स यश इण्टरप्राइजेज की फर्म को अवशेष धनराशि ₹0 45,73,214.00 (₹0 पैंतालिस लाख तिहत्तर हजार दो सौ चौदह मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित शर्तों

एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, संत कबीरनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम एवं शर्तें-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। स्वीकृति धनराशि नियमानुसार व्यय करने हेतु आवंटित की जा रही है।
2. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र तीन हस्त पुस्तिक खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
7. मे0 यश इण्टरप्राइजेज द्वारा कोविड-19 में कार्य करने के लिए समस्त औपचारिकता पूर्ण की गयी है एवं जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है अर्थात् भुगतान प्रथमबार ही किया जा रहा है।
8. उक्त भुगतान में यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनिमित्ता पायी जाती है तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
9. जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय जाप दिनांक 28.03.2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 45,73,214.00 (रू0 पैंतालिस लाख तिहत्तर हजार दो सौ चौदह मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-306(1)/एक-10-2026. तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०. प्रयागराज।
- 2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3-राहत आयुक्त. उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5-विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन ।
- 6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7-सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 9-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-25/04/2026

प्रेषण संख्या:- 306
आवंटन आदेश संख्या:- 001-306
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	4573214	4573214
		प्रगामी	19194214	19194214
	योग	वर्तमान	4573214	4573214
		प्रगामी	19194214	19194214

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैतालीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ चौदह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकानवे लाख चौरानवे हजार दो सौ चौदह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी